म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, ग्वालियर

https://mpcci.in

eअर्थवार्ता

मासिक पत्रिका

- आरएनआई/एमपीएचआईएन/1997/6965
- डाक पंजीकृत सं. ग्वालियर / 40020263/2023–25
- वर्ष : 27, अंक : 12
- माह : जून 2025

JUNE

2025

http://www.mpcci.in

अर्थवार्ता

मासिक पत्रिका

‘कानून को मानना हमारा स्वभाव होना चाहिए, जितना कानून का पालन करेंगे, उतनी ही हमारी विश्वसनीयता बढ़ेगी’: जस्टिस रोहित आर्या (सेवानिवृत्त)

विधिक जागरूकता एवं सतर्कता पर कार्यशाला आयोजित

MPCCI द्वारा आयोजित "विधिक जागरूकता एवं सतर्कता" पर कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जस्टिस रोहित आर्या ने कहा कि –

"कानून को मानना हमारा स्वभाव बनना चाहिए । हम जितना अधिक कानून का पालन करेंगे, उतनी ही हमारी सामाजिक व व्यापारिक विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।" आपने व्यापारिक समाज से आह्वान किया कि वे ‘एकाउंटेबल लीडरशिप’ को अपनाएं और चार महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान दें –

1. परिवर्तन को अपनाएं, लेकिन ईमानदारी और नैतिकता से कोई समझौता न करें।
2. नवाचार करें, परंतु समावेशिता बनाए रखें – वर्तमान व्यवस्था को साथ लेकर आगे बढ़ें।
3. व्यापार का वैश्विक विस्तार करें, लेकिन स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा न हो।
4. संपत्ति के साथ–साथ विश्वास और प्रतिष्ठा अर्जित करें।

जस्टिस आर्या ने कहा कि कानून को बाध्यता नहीं, बल्कि समृद्धि का साधन मानें। यदि हम स्वयं को कानूनी ढांचे में ढालते हैं, तो व्यापार अधिक सुरक्षित और दीर्घकालिक होगा।

‘भावनाओं में बहकर या कानून की अनभिज्ञता में उठाया गया कोई भी कदम भविष्य में बड़ा विवाद बन सकता है।’

आपने ‘डिसिप्लिन ऑफ लॉ’ की अवधारणा पर बल दिया और कहा कि कानून में न अहंकार चलता है, न जिद, केवल तर्क चलता है, लेकिन तर्क की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए विवादों का अंत मध्यस्थता के माध्यम से करना चाहिए। आपने मध्यस्थता (Mediation) को विवादों के समाधान का उत्तम उपाए बताते हुए सुझाव दिया कि जैसे विदेशों में व्यवसायी न्यायालय की जगह मध्यस्थता को प्राथमिकता देते हैं, वैसे ही भारतीय व्यापारियों को भी समय और संसाधनों की बचत हेतु इस पद्धति को अपनाना चाहिए।

इस अवसर एडवोकेट प्रशांत शर्मा ने कार्यशाला में "चेक बाउंस" से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि व्यापारी अक्सर ब्लैंक चेक देने की गलती करते हैं, जिनका दुरुपयोग कर कानूनी फंदे में फंसाया जा सकता है। आपने सलाह दी कि –

- ब्लैंक चेक के बदले में पावती अवश्य लें।
- सभी व्यापारिक व्यवहार लिखित रूप में करें, मौखिक व्यवहार से बचें।
- व्हाट्सएप से लेन–देन की जानकारी साझा कर उसे डिजिटल अनुबंध का स्वरूप दें।

चेक भुगतान में पारदर्शिता के लिए नकद के साथ छोटी राशि चेक द्वारा भी दें और दस्तावेज में उल्लेख करें, जिससे वह कैश ट्रांजैक्शन का प्रमाण बन जाए।

एडवोकेट शर्मा ने विभिन्न कानूनी प्रावधानों जैसे मेटरनिटी बेनिफिट एक्ट, इनकम टैक्स कैश लिमिट, लेबर रजिस्टर इत्यादि के पालन पर भी व्यापारियों को सतर्क किया। आपने बताया कि कानून की जानकारी नहीं थी – "यह कोई बहाना नहीं होता"।

इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि "कानूनी जागरूकता के माध्यम से सतर्क व्यापारिक व्यवहार विकसित करना आज की आवश्यकता है।"

कार्यशाला का संचालन कर रहे, मानसेवी सचिव दीपक अग्रवाल ने कहा कि स्थापना दिवस पर लिये गये संकल्पों में से एक था, "विधिक जागरूकता" व्यापारियों को यह जानना जरूरी है कि चेक लेन–देन, संपत्ति क्रय–विक्रय, एग्रीमेंट, वसीयत आदि में किस प्रकार की सावधानियाँ बरती जाएं, ताकि वे अनावश्यक कानूनी उलझनों से बच सकें।"

कार्यक्रम के अंत में आभार, कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया।

इस अवसर पर संयुक्त अध्यक्ष–हेमंत गुप्ता, उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्षद्वय, श्री सुरेश बंसल व श्री पारस जैन, पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव–श्री पीताम्बर लोकवानी, श्री जगदीश मित्तल सहित कार्यकारिणी सदस्य एवं बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे।

कार्यशाला के अंत में जस्टिस श्री रोहित आर्या जी को "स्मृति चिन्ह" श्री शैलेष जैन, (संयोजक विधिक जागरूकता उपसमिति) एवं श्री विवेक अग्रवाल (सह–संयोजक) द्वारा प्रदान किया गया। साथ ही, एडवोकेट प्रशांत शर्मा को मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन अग्रवाल द्वारा "स्मृति चिन्ह" भेंट किया गया।

http://www.mpcci.in
eअर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

''चेम्बर संवाद''

समूह क्रमांक-33, 35, 36 एवं 37 के सदस्यों के साथ आयोजित

'चेम्बर संवाद' के अन्तर्गत दिनांक 3 जून 25 को समूह क्रमांक - 33, 35, 36 एवं 37 के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन 'चेम्बर भवन' में किया गया।

इस अवसर पर अध्यक्ष-डॉ. प्रवीण अग्रवाल द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि 'चेम्बर संवाद' का उद्देश्य आपसे रूबरू होना है। आपसे जब रू-ब-रू चर्चा होगी, तब आपकी समस्याओं का संकलन होगा और उसे उचित मंच पर रखते हुए उनका समाधान कराया जाएगा।

मानसेवी सचिव-दीपक अग्रवाल ने बैठक का संचालन करते हुए कहा कि समूह के कार्यकारिणी सदस्यों को, कार्यकारिणी समिति की बैठकों में अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। सदस्यों को अपनी बात रखने के लिए मंच उपलब्ध हो, इसलिए 'चेम्बर संवाद' का आयोजन किया जाता है। आपने संस्था की गतिविधियों से सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया।

'संवाद' में उपस्थित सदस्यों ने बाजारों में ट्रैफिक की गंभीर समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही, वाहनों की पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान न होने से भी ग्राहकों को परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी में बिजली का बार-बार जाना, व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। रेडीमेड व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए शहर में ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से स्किल्ड लेबर की व्यवस्था होनी चाहिए। शहर में जूता कारोबार के लिए पृथक से जगह उपलब्ध कराई जाना चाहिए। शहर में माल के आयात-निर्यात के लिए एयरकार्गोसुविधा प्रारंभ होना चाहिए। शहर में फुटपाथियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होना चाहिए। बाड़े पर स्थित म्यूजियम के पीछे की गली में शराबियों का दिनभर जमावड़ा एवं खुले में शराब पीने से वहाँ के निवासियों एवं दुकानदारों को परेशानी हो रही है, इस पर प्रशासन को कार्यवाही करना चाहिए। डबरा में नवीन बस स्टेण्ड का निर्माण किया जाना चाहिए।

'संवाद' के दौरान समूह क्रमांक-33, 35, 36 एवं 37 के सदस्यों से प्राप्त समस्याओं पर उचित कार्यवाही किए जाने का आश्वासन, अध्यक्ष महोदय द्वारा दिया गया।

बैठक के अंत में आभार, उपाध्यक्ष-डॉ. राकेश अग्रवाल ने व्यक्त किया। बैठक में कार्यकारिणी समिति सदस्य-सर्वश्री संदीप जैन, पंकज अरोरा, मयंक अरोरा, दिनेश कुमार अग्रवाल, पुरुषोत्तम गुप्ता, सतीश गर्ग, एम. के. सांघी सहित समूहों के सदस्य उपस्थित थे।

'चेम्बर संवाद' में लिए गए निर्णयानुसार ''खाद्य सैम्पलिंग प्रक्रिया'' पर कार्यशाला आयोजित

खाद्य सेम्पलिंग प्रक्रिया पर दि. 17 जून को कार्यशाला का आयोजन 'चेम्बर भवन' में किया गया। इस अवसर पर एडवोकेट संजय बहिरानी ने फूड सेम्पलिंग प्रक्रिया के दौरान कारोबारियों को क्या सावधानियां रखना चाहिए ? इस विषय पर बताया कि फूड सेम्पलिंग किसी भी करोबारी के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर की जाती है और इसका उद्देश्य होता है कि उस खाद्य पदार्थ से कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है। आपने बताया कि खाद्य विभाग के अधिकारी जब आपके खाद्य पदार्थ का सेम्पल लेने आएं तो वह जिस पात्र में नमूना ले रहे हैं, वह साफ-सुथरा होना चाहिए, उसमें मॉश्चर न हो। यह कारोबारी सुनिश्चित कर ले, कितनी मात्रा उस नमूने की ली जा रही है, और कितनी सुनिश्चित है, यह भी कारोबारी देखें। अन्यथा सेम्पल अमानक घोषित हो सकता है। व्यापारी जो खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु क्रय कर रहे हैं या जिनका इस्तेमाल कर खाद्य पदार्थ निर्मित कर रहे हैं, उनका सेम्पल आप पहले ही चैक करा सकते हैं और उसकी रिपोर्ट अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि आपके यहाँ वह फूड सेम्पलिंग हो, तो आप उस रिपोर्ट को प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके पास खाद्य विभाग द्वारा जारी लायसेंस/पंजीकरण होना चाहिए, इसके बिना आप विक्रय कर रहे हैं, तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। जब भी कोई अधिकारी आए, तो आप उससे फार्म-5ए प्राप्त करें। यह आपका अधिकार है, पंचनामा नहीं मिले, तो आप अपना पंचनामा स्वयं भी बनाकर रखें।

एडवोकेट सौरभ अग्रवाल ने कार्यशाला में बताया कि ''खाद्य पदार्थ सुरक्षित होंगे, तो हमारा ग्वालियर स्वस्थ बनेगा''। आपने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत धारा-59 में ही सजा का प्रावधान रखा गया है, बाकी धारा-63 में केवल जुर्माने का प्रावधान है। इसलिए कारोबारी डरें नहीं। हमें असुरक्षित खाद्य पदार्थ के तमगे से ग्वालियर को हटाना है। आपने बताया कि जिस तेल में खाद्य पदार्थ तले जाते हैं, वह तेल 2 से 3 बार ही प्रयोग करना चाहिए, इससे अधिक प्रयोग करने पर वह खाद्य पदार्थ सेम्पल में अमानक हो जाएगा और इससे हृदय संबंधी बीमारियाँ एवं कैंसर जैसी घातक बीमारी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। आपने कहा कि सेम्पल दो तरह के होते हैं-सर्विलांस तथा लीगल। आपको पूर्ण नियमों का पालन करते हुए बिना डरे कार्य करना है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी-श्री राजेश गुप्ता ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी कमियों को सुनकर उसमें सुधार लाने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने उदाहरण दिया कि यदि डेयरी वाला अमानक पदार्थ विक्रय करे और मसाले वाले से यह अपेक्षा करे कि वह उसे शुद्ध मिले। इस नरेटिव से हमें बाहर निकलना है। हम सुरक्षित भोजन परोसेंगे, तब ही स्वस्थ जीवन हमें मिलेगा। आपने कहा कि व्यापारी जब लायसेंस लेता है, तो वह रिटेल का प्राप्त करता है और उस लायसेंस पर ही वह मेन्युफे क्चरिंग करता है। यह गलत है। आपको जिस केटेगरी में कार्य करना है, आप उसी केटेगरी का लायसेंस प्राप्त करें और जब लायसेंस बनवाएँ तो उसमें उत्पाद की जो लिस्टिंग वह खुद चुनें, ताकि आप जिन पदार्थ का व्यापार कर रहे हैं, वही आपके लायसेंस में प्रदर्शित हों। आपने कहा कि फूड सेम्पलिंग के दौरान फार्म-5ए देना खाद्य अधिकारी का दायित्व है और उसे प्राप्त करना आपका अधिकार है। आपने विस्तार से फूड सेम्पलिंग की प्रक्रिया को समझाया।

कार्यशाला के प्रारंभ में अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल ने उपस्थित महानुभावों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि फूड सेम्पलिंग के समय व्यापारियों को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होने तथा नियमों की जानकारी का अभाव होने से वह भय महसूस करते हैं और उनकी इस अज्ञानता का फायदा उठाकर उनका शोषण करने का प्रयास किया जाता है। व्यापारियों को फूड सेम्पलिंग की प्रक्रिया से अवगत कराने तथा नियमों एवं उनके अधिकारों की जानकारी के लिए आज यह कार्यशाला आयोजित की गई है। व्यापारियों की शिकायत रहती है कि जिस पंचनामे पर खाद्य अधिकारी उनके हस्ताक्षर कराते हैं, उसकी कॉपी उन्हें नहीं दी जाती है। इससे यह अंदेशा रहता है कि उस पंचनामे में बाद में भी कोई और तथ्य भी जोड़े जा सकते हैं। इसलिए व्यापारी के जिस पंचनामे पर हस्ताक्षर लिए जा रहे है, उसकी कॉपी संबंधित व्यापारी को दी जाना चाहिए। इसके लिए खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर, उन्हें पंचनामे की प्रति देने की मांग चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा की जाएगी।

मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल ने कहा कि 'चेम्बर संवाद' एवं उन्नत व्यापार व्यवहार एवं उपभोक्ता संरक्षण उपसमिति की बैठकों में खाद्य सेम्पलिंग पर कार्यशाला का आयोजन किए जाने की आवश्यकता जाहिर की गई थी, उसी उद्देश्य से आज की कार्यशाला आयोजित की गई है। इसके बाद भी आवश्यकता होने पर आगे भी इसका आयोजन किया जाएगा।

कार्यशाला के अंत में उपस्थित कारोबारियों द्वारा अपनी जिज्ञासाओं संबंधी सवाल किए गए, जिनका समाधान वक्ताओं द्वारा किया गया। आभार, मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल द्वारा व्यक्त किया गया। इस अवसर पर संयुक्त अध्यक्ष–हेमंत गुप्ता, उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल सहित पूर्व उपाध्यक्षद्वय–श्री जी. एल. भोजवानी, श्री सुरेश बंसल एवं पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव–श्री जगदीश मित्तल सहित कार्यकारिणी समिति सदस्यगण एवं चेम्बर सदस्यगण उपस्थित रहे।

नवीन 25 सदस्यों को ''सदस्यता प्रमाण–पत्र'' का हुआ वितरण

दिनांक 10 जून 2025 को आयोजित हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में 25 नवीन सदस्यों को सदस्यता प्रदान की गई थी। दि. 17 जून को आयोजित उपरोक्त कार्यशाला में नवीन सदस्यों को सदस्यता प्रमाण–पत्र एवं एमपीसीसीआई पिन सहित अर्थवार्ता व रेलवे समय–सारिणी प्रदान कर, स्वागत किया गया।

सदस्य उपलब्धियाँ ...

श्री दीपक अग्रवाल, 'संयुक्त सचिव' मनोनीत

लायंस क्लब ऑफ ग्वालियर में सन् 2025–26 के लिए लायन श्री दीपक अग्रवाल को 'संयुक्त सचिव' पद पर मनोनीत किया गया है।

पदाधिकारियों ने श्री दीपक अग्रवाल जी के मनोनयन पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकायनाएँ दी हैं।

विसंगति पूर्ण 'गारबेज शुल्क' का युक्तियुक्तकरण किए जाने हेतु महापौर-डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार को सौंपा ज्ञापन

नगर–निगम द्वारा विसंगति पूर्ण 'गारबेज शुल्क' की वसूली के लिए शहर के व्यवसाईयों पर लगातार बनाए जा रहे दबाव को ध्यान में रखते हुए चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिनांक 20 जून को महापौर–डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार को ज्ञापन सौंपकर, माँग की कि 'गोडाउन' पर 'गारबेज शुल्क' की गणना पूर्व में घोषित वाणिज्यिक दर के अनुसार की जाए। साथ ही, 'गारबेज शुल्क' का युक्तियुक्तकरण कराकर, शहर के व्यवसाईयों को राहत प्रदान की जाए और जब तक इसका युक्तियुक्तकरण नहीं हो जाता है, तब तक गोडाउन से 'गारबेज शुल्क' की वसूली को स्थगित रखा जाए तथा व्यवसाईयों व उद्योगपतियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 6% छूट के साथ 'सम्पत्ति कर' जमा करने की अंतिम तिथि को कम से कम 03 माह बढ़ाया जाए।

ज्ञापन में माँग की गई कि नगर–निगम को 'गारबेज शुल्क' परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वसूलना चाहिए क्योंकि आयुक्त, नगर–निगम, ग्वालियर द्वारा दि. 11–08–2023 को युक्तियुक्तकरण का जो प्रस्ताव मध्यप्रदेश शासन को भेजा गया था, उसमें परिषद द्वारा दि. 31 जनवरी,2020 को पारित संकल्प क्रमांक–1 के अतिरिक्त दि. 22–09–2020 को पारित संकल्प क्रमांक–102 का हवाला ही नहीं दिया गया था, जबकि परिषद का सर्वसम्मति से जो अभिप्राय था, वह समूचे 'गारबेज शुल्क' को युक्तियुक्त करने का था, परन्तु आयुक्त द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में उक्त सभी मदों का उल्लेख ही नहीं किया गया था। इस त्रुटि के कारण दिनांक 22–09–2020 को संकल्प क्रमांक–102 में दी गई शोरूम, बैंक, फायनेंस ऑफिस, सर्विस सेक्टर कार्यालय, वेयर हाउस, पेट्रोल पम्प, शोरूम सह वर्कशॉप, गोडाउन आदि की दरों का युक्तियुक्तकरण नहीं हो पाया।

उपरोक्त त्रुटि के कारण म. प्र. शासन द्वारा पारित आदेश में 'गोडाउन' शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, जबकि सम्पत्ति कर के साथ 'गारबेज शुल्क' को वसूलने में यदि किसी व्यापारी का गोडाउन होता है, तब 'गारबेज शुल्क' के रूप में नगर–निगम द्वारा रु. 10,000/– की माँग की जा रही है। इसके साथ ही, पारित आदेश में 1000 वर्गफीट से अधिक के गैर आवासीय परिसर का 10,000/– रूपये 'गारबेज शुल्क' वसूले जाने के आदेश नहीं हैं, जबकि 1000 वर्गफीट से अधिक की यदि गैर आवासीय सम्पत्ति होती है, तो उसके ऊपर नगर–निगम द्वारा 10,000/– रूपये 'गारबेज शुल्क' माँगा जा रहा है, जबकि 1000 वर्गफीट से कम होने पर रु. 240/– शुल्क देय हैं।

इस अवसर पर महापौर – माननीया डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार ने कहा कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स की इस माँग पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाएगा और शहर के कारोबारियों के साथ किसी भी स्थिति में गलत नहीं होने दिया जाएगा।

''सम्पत्ति कर शिविर'' में 01 करोड़ 44 लाख रुपये के राजस्व की नगर–निगम को हुई प्राप्ति

नगर पालिक निगम, ग्वालियर के सहयोग से दि. 28 जून को शहर के उद्यमियों की सुविधा हेतु उपायुक्त, नगर–निगम, श्री ए. के. दुबे के सानिध्य में ''सम्पत्ति कर शिविर'' का आयोजन 'चेम्बर भवन' में किया गया। उक्त शिविर में नगर–निगम को सम्पत्ति कर के रूप में 01 करोड़ 44 लाख रुपये के राजस्व की प्राप्ति हुई।

इस अवसर पर अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त अध्यक्ष–हेमन्त गुप्ता, उपाध्यक्ष–डॉ. राकेश अग्रवाल, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल, मानसेवी संयुक्त सचिव–पवन कुमार अग्रवाल एवं कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल तथा पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव–श्री जगदीश मित्तल एवं पूर्व कोषाध्यक्ष–वसंत अग्रवाल सहित काफी संख्या में कार्यकारिणी सदस्यगण व सदस्यगणों ने शामिल होकर, अपनी सम्पत्तियों का सम्पत्तिकर जमा किया।

ग्वालियर से बेंगलुरु के मध्य नवीन ट्रेन (11086/11085) प्रारम्भ

आगमन	प्रस्थान	स्टेशन	आगमन	प्रस्थान
--	15.00 (शुक्र.)	ग्वालियर जं.	10.25 (मंगल.)	--
16.30	16.32	शिवपुरी	07.20	07.22
18.40	18.55	गुना	05.15	05.30
19.30	19.32	अशोक नगर	03.38	03.40
21.05	21.10	बीना जं.	02.30	02.35
22.08	22.10	विदिशा	00.45	00.47
23.05	23.15	भोपाल जं.	00.00	00.10
02.18	02.20	बैतूल	18.26	18.28
05.50	05.55	नागपुर	15.50	15.55
09.50	09.55	बल्हारशाह	12.25	12.30
07.35 (रवि.)	--	बेंगलुरु (एसएमवीटी)	--	15.50 (रवि.)

अन्य स्टेशन : सेवाग्राम, चंद्रापुर, बल्हारशाह, सिरपुर कागजनगर, बेलमपल्ली, काजीपेट जं., काचीगुड़ा, महबूबनगर, गदवाल जं., कर्नूलु सिटी, डोन जं., अनंतपुर, धर्मवरम जं., हिंदूपुर, यलहंका जं. पर भी रुकेगी। दि. 04-07.2025 से प्रति शुक्रवार को ग्वालियर से उक्त ट्रेन का संचालन नियमित रूप से किया जाएगा।

जून, 2025 के महत्वपूर्ण प्रयास...

* केन्द्रीय वित्तमंत्री, भारत सरकार को पत्र प्रेषित कर, जीएसटीआर-1 के टेबिल-12 में लागू एचएसएन रिपोर्टिंग के तीसरे चरण को स्थगित करने की माँग की गई।
* केन्द्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री, भारत सरकार एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री-माननीय डॉ. मोहन यादव को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर को ''लॉजिस्टिक्स पॉवर हाउस'' के रूप में विकसित करने की माँग की गई।
* आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, एसडीएम रोड पर व्याप्त अव्यवस्थाओं की ओर ध्यान दिलाते हुए, उक्त मार्ग पर क्षतिग्रस्त सीवर चेम्बर सहित सुबह के समय लगने वाली सब्जी मण्डी से होने वाले ट्रेफिक जाम सहित अन्य परेशानियों के समाधान की माँग की गई।
* मुख्यमंत्री-माननीय डॉ. मोहन यादव एवं श्रममंत्री, माननीय श्री प्रहलाद पटेल को पत्र प्रेषित कर, श्रम कानूनों में संशोधन की माँग की गई।
* केन्द्रीय रेलमंत्री-माननीय श्री अश्विनी वैष्णव एवं सांसद-माननीय श्री भारत सिंह कुशवाह को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर की रेलवे संबंधी माँगों पर दि. 25 मार्च को सौंपे गए ज्ञापन पर हुई प्रगति के संबंध में अवगत कराने की माँग की गई।
* पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर एवं आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, सुभाष मार्केट के मुख्य प्रवेश द्वार अतिक्रमण कर बैठे हुए फु टपाथ विक्रेताओं को हटाए जाने की माँग की गई।
* महाप्रबंधक (शहर वृत्त), म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. को पत्र प्रेषित कर, माँग की गई कि वितरण कं. के किसी भी जोन पर बिल जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
* आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, 6% छूट के साथ सम्पत्ति कर जमा करने की अवधि 01 माह बढ़ाए जाने की माँग की गई।
* आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर शहर की सड़कों पर पेयजल व सीवर लाइन डाले जाने के कारण व्यापार प्रभावित होने एवं आम नागरिकों को हो रही परेशानी से निजात दिलाने की माँग की गई।
* केन्द्रीय कृषि मंत्री, भारत सरकार-माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र प्रेषित कर, दि. 10 सितम्बर 2023 को चेम्बर आगमन के अवसर पर 'माधव प्लाजा' के संबंध में की गई घोषणा पर अमल सुनिश्चित कराने की माँग की गई।
* केन्द्रीय संचार मंत्री-माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र प्रेषित कर, दि. 10 सितम्बर 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री-माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 'चेम्बर भवन' में पधारने के अवसर पर 'माधव प्लाजा' के संबंध में की गई घोषणा पर अमल सुनिश्चित कराने की माँग की गई।
* नगरीय विकास एवं आवास मंत्री-माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय को पत्र प्रेषित कर, सुभाष मार्केट एवं गाँधी मार्केट के दुकानदारों को मालिकाना हक दिए जाने की माँग की गई।
* वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ग्वालियर एवं आयुक्त, नगर-निगम को पत्र प्रेषित कर सुभाष मार्केट के मुख्य प्रवेश द्वार पर फु टपाथ विक्रेताओं द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की माँग की गई।
* आयुक्त, नगर-निगम, ग्वालियर को पत्र प्रेषित कर, शंकरपुर औद्योगिक नगरी में बारिश के पानी के निकास हेतु समुचित प्रबंध किए जाने की माँग की गई।
* महापौर-माननीया डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार को पत्र प्रेषित कर, 6% छूट के साथ सम्पत्ति कर जमा करने की अवधि को 03 माह बढ़ाए जाने की माँग की गई।
* महापौर-माननीया डॉ. श्रीमती शोभा सिकरवार को ज्ञापन सौंपकर, विसंगति पूर्ण 'गारबेज शुल्क' का युक्तियुक्तकरण किए जाने की माँग की गई।
* प्रधानमंत्री-माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री-माननीय श्री जे. पी. नड्डा को पत्र प्रेषित कर, नई दिल्ली के निजी अस्पतालों में अत्यधिक शुल्क वसूली से स्वास्थ्य सेवाएँ आम नागरिक की पहुँच से बाहर होने के संबंध में उचित कार्यवाही किए जाने की माँग की गई।
* केन्द्रीय संचार मंत्री-माननीय श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं ऊर्जा मंत्री-माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को पत्र प्रेषित कर, मोतीझील - बहौड़ापुर चौराहे तक प्रस्तावित 4-लेन मार्ग के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा 'नेरोगेज ट्रेक' को हटाए जाने की माँग की गई।
* मुख्यमंत्री-माननीय डॉ. मोहन यादव एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री-माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय को पत्र प्रेषित कर, ग्वालियर में प्रीमियम बेस्ड एफएआर रेट को कम किए जाने की माँग की गई।

कार्यकारिणी समिति की बैठक

दिनांक 10 जून 2025 को आयोजित बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय निम्नानुसार हैं :-

* सदस्यता हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार कर निम्नलिखित फर्मों को सदस्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया :-

1. मेसर्स सौरभ ज्वेलर्स, मुल्तान मार्केट, सराफा बाजार, लश्कर.
2. मेसर्स सिद्धार्थ जैन, मेहता भवन, सराफा बाजार, लश्कर.
3. मेसर्स डी. के. इंटरप्राइजेज, 851, महाड़िक की गोठ, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर.
4. मेसर्स अचलनाथ ट्रेडर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स, महाड़िक की गोठ, कम्पू, लश्कर, ग्वालियर.
5. मेसर्स कैलादेवी माईनिंग एण्ड स्टोन क्रेशर एलएलपी, बारादरी चौराहा, मुरार, ग्वालियर.
6. मेसर्स जी. एल. इंटरप्राइजेज, बांदिल बिल्डिंग, दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
7. मेसर्स मिश्रा फिलिंग स्टेशन, जवाहरगंज, डबरा.
8. मेसर्स शिवराम इंटरप्राइजेज, पंडित भवन, रोशनी घर मार्ग, लश्कर, ग्वालियर.
9. मेसर्स दिशा ट्रेडर्स, शितोले का बाड़ा, दर्जीओली, लश्कर
10. मेसर्स माँ शीतला कोल्ड स्टोरेज एण्ड वेयरहाउस प्रा. लि., हनुमान मंदिर के सामने, पुरानी छावनी, ग्वालियर.
11. मेसर्स श्री गिर्राज ट्रेडर्स, ए-11, आनन्द नगर, बहौड़ापुर, ग्वालियर.
12. मेसर्स श्री काकाजी एण्ड संस, गाँधी चौक, कोर्ट रोड, शिवपुरी.
13. मेसर्स एलेक्सजर गोल्ड, श्रीनाथ कॉम्पलेक्स, मोर गली, सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
14. मेसर्स जी. आर. इंटरप्राइजेज, पुराने हाईकोर्ट के सामने, लश्कर, ग्वालियर.
15. मेसर्स श्री शर्मा रोड लाईन्स, पंडित भवन, रोशनी घर रोड, लश्कर, ग्वालियर.
16. मेसर्स कृष्णा सर्विस स्टेशन, इण्डियन ऑयल पेट्रोल पम्प, ट्रांसपोर्ट नगर, ग्वालियर.
17. मेसर्स शारदा कृषि सेवा केन्द्र, 18, विनय नगर सेक्टर-1, बहौड़ापुर, ग्वालियर.
18. मेसर्स कैलादेवी इंटरप्राइजेज, 101, एम. के. रेजीडेंसी, 24 बीघा कॉलोनी, गालव नगर, बहौड़ापुर, ग्वालियर
19. मेसर्स सुनील ट्रेडिंग कं., विनोद मार्केट, मैनावाली गली, लश्कर, ग्वालियर.
20. मेसर्स ऊषा केमिकल वर्क्स, 3-माँ विहार कॉलोनी, रमटापुरा नं.-2, ग्वालियर.
21. मेसर्स गोपीराम साड़ीज, बाहूबली के पास, नया बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
22. मेसर्स तायल स्टोर्स, न्यू मार्केट, दौलतगंज, लश्कर.
23. मेसर्स अग्रसेन ज्वेलर्स, कोठारी कॉम्पलेक्स के पास, सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
24. मेसर्स अग्रसेन क्रियेशन, कोठारी कॉम्पलेक्स के पास, सराफा बाजार, लश्कर, ग्वालियर.
25. मेसर्स न्यूट्रिको एग्रो कल्चर एलएलपी, ट्रेड सेन्टर, द्वितीय तल, बसंत विहार, ग्वालियर.

* समूह क्रमांक-28 में स्व. श्री संजय अग्रवाल जी के आकस्मिक निधन से रिक्त हुए स्थान की पूर्ति करते हुए, श्री रोहित अग्रवाल को कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत करने का निर्णय लिया गया।
* नवीन भवन निर्माण के संबंध में अभी तक हुई प्रगति की जानकारी से सदन को अवगत कराया गया।

जीएसटी कॉन्क्लेव में चेम्बर के प्रतिनिधि हुए शामिल

जीएसटी कॉन्क्लेव का आयोजन दिनांक 16 जून को भोपाल में किया गया। इस कॉन्क्लेव में चेम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से सदस्य- श्री पंकज गोयल एवं श्री शकुंत सोमानी शामिल हुए। बैठक में शामिल श्री पंकज गोयल एवं श्री शकुंत सोमानी ने अत्याधिक जटिल जीएसटी पंजीयन की प्रक्रिया से होने वाले विलम्ब के संबंध में अवगत कराया। आपने कहाकि जीएसटी को लागू हुए लगभग 08 वर्ष हो गए हैं। बावजूद इसके इसमें अनेक विसंगतियाँ होने से व्यवसाईयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, आपके द्वारा जीएसटी पोर्टल पर डाक्यूमेंट अपलोड करने में भी काफी समय लगने सहित अन्य परेशानियों को भी कॉन्क्लेव में प्रस्तुत किया।

http://www.mpcci.in
अर्थवार्ता
मासिक पत्रिका

MPCCI प्रतिनिधिमण्डल ने तानसेन नगर औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर आयुक्त, नगर–निगम को सौंपा ज्ञापन

औद्योगिक क्षेत्र तानसेन रोड की विभिन्न समस्याओं पर दिनांक 25 जून 25 को चेम्बर के प्रतिनिधि मण्डल ने आयुक्त,नगर–निगम–श्री संघ प्रिय से उनके कार्यालय में भेंट कर, औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं पर एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें निम्नानुसार समस्याओं को प्रस्तुत किया गया :–

* **तलवार का बाड़ा के बाहर स्थापित कचरा फड़ को समाप्त किया जाए :** औद्योगिक क्षेत्र में कचरा फड़ बना दिया गया है, जिससे यहाँ हर समय कचरे के ढेर लगे रहते हैं। इस कचरे के कारण पूरे क्षेत्र में बदबू के कारण काफी परेशानी होती है, इसलिए इस कचरा फड़ को समाप्त किया जाए।

* **औद्योगिक क्षेत्र में सफाई व्यवस्था :** (1) उक्त औद्योगिक क्षेत्र में नियमित रूप से सफाई नहीं होती है और न ही प्रतिदिन कचरा गाड़ी आती है, जिसके कारण यहाँ जगह–जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इस औद्योगिक क्षेत्र में प्रतिदिन सफाई एवं कचरा गाड़ी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। (2) नालियों की सफाई न होने से गंदा पानी बाहर भर जाता है, जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं। (3) औद्योगिक क्षेत्र के बाहर जो नाला बना हुआ है, उस पर स्थाई अतिक्रमण किया हुआ है, जिसके कारण नाले की सफाई न होने से औद्योगिक संस्थान के पानी का निकास नहीं हो पाता है। इसलिए नाले पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही की जाए। (4) औद्योगिक क्षेत्र में 'रेलवे ओवर ब्रिज' के नीचे जिसे गार्टर वाली पुलिया भी कहते हैं। वहाँ पर रेलवे लाइन के किनारे 5 से 7 औद्योगिक इकाईयाँ हैं। आरओबी बन गया है, सर्विस रोड भी बहुत अच्छी बनी है। सर्विस रोड पर पूरे पुल का पानी आता है, लेकिन इस पानी का कोई निकास नहीं है। वहाँ पर स्मार्ट सिटी द्वारा पुल बनने के समय पर एक छोटी सी नाली बनाई गई थी। वह नाली पूरी तरह से चौक है। इस नाली का आगे कोई मिलान नहीं है, जिससे वहाँ दो–दो फीट पानी भर जाता है। जब पानी भरता है, तो फैक्ट्रियों में आता है, जिससे इकाईयों में उत्पादन कार्य ठप्प हो जाता है। (5) 'रेलवे ओवर ब्रिज' के नीचे कचरा फड़ बना दिया गया है, यहाँ पर पूरे क्षेत्र का कचरा डाला जाता है, जिससे यहाँ हर समय गंदगी का वातावरण रहता है, इस प्रदूषित वातावरण में इकाईयाँ कार्य करने को विवश हैं। यहाँ से कचरा फड़ को समाप्त किया जाकर, सफाई कराई जाना सुनिश्चित किया जाए।

आयुक्त, श्री संघ प्रिय ने प्रतिनिधि मण्डल द्वारा प्रस्तुत की गई समस्याओं को धैर्य पूर्वक सुना एवं तत्पश्चात नगर–निगम अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र तानसेन रोड की उपरोक्त समस्याओं को निराकृत करने हेतु निर्देशित किया।

इस अवसर पर प्रतिनिधिमण्डल में अध्यक्ष–डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी सचिव–दीपक अग्रवाल, कोषाध्यक्ष–संदीप नारायण अग्रवाल, पूर्व मानसेवी संयुक्त सचिव–जगदीश मित्तल, तानसेन नगर औद्योगिक क्षेत्र से उद्यमी–श्री सुनील अग्रवाल, श्री संजय धवन, श्री कमल नागपाल एवं श्री अवधेश राठौर शामिल थे।

प्रेषक : स्वामी म. प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री के लिए प्रकाशक, दीपक अग्रवाल द्वारा ग्राफिक्स वर्ल्ड, ग्वालियर से डिजाइन तथा 'चेम्बर भवन', एस.डी.एम. मार्ग, ग्वालियर से प्रकाशित. संपादक–दीपक अग्रवाल, दूरभाष–2371691,2632916,2382917